Panchayatiraj: Pros and Cons

पंचायती राज : समस्या एवम समाधान

Dr. Jitendra Prakash Tyagi
Dept. of Political science
P.N.G. Government P.G. College, Ramnagar (Nainital)
Uttarakhand

Abstract

पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। यह नागरिको को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है। साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। पं. नेहरू ने स्वंय कहा था कि "मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूॅं मैं महसूस करता हूॅ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है।" प्रो. रजनी कोठारी के अनुसारः- "इन संस्थाओ ने नये स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियो से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण और सामाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य पंचायत तंत्र का गहन अध्ययन करना तथा पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों की तस्वीर प्रस्तुत करना है।

Keywords : पंचायत, प्रजातंत्र, सामाजीकरण

पंचायती राज : समस्या एवम समाधान

पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक प्रणाली की नींव के रूप में पंचायती राज की वकालत की थी ।

पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। यह नागरिको को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है। साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। पं. नेहरू ने स्वंय कहा था कि "मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूॅं मैं महसूस करता हूॅ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है।" प्रो. रजनी कोठारी के अनुसारः- "इन संस्थाओ ने नये स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियो से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण और सामाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में कृशि करके गांवों में जागरूकता उत्पन्न कर दी है।"

इसके उलट भारत ने सरकार का एक उच्च केंद्रीकृत रूप विकसित कर दिया है इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। पंचायती राज शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं। पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तर हैं: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर)। वर्तमान मे पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है।

पंचायतों को तीन स्रोतों से धन प्राप्त होता है:

- स्थानीय निकाय अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन
- राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर जारी धन

ग्राम पंचायत सभा

सरपंच इसका निर्वाचित प्रधान होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रत्येक को पांच साल की अवधि के लिए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

आमदनी का साधन:

- स्थानीय रूप से एकत्र किए गए कर जैसे पानी, तीर्थ स्थान, स्थानीय मंदिर (मंदिर) और बाजार
- राज्य सरकार से एक निश्चित अनुदान भू राजस्व और परिषदों को सौंपे गए कार्यों और योजनाओं के लिए धन के अनुपात में दान

ब्लॉक स्तर की पंचायत या पंचायत समिति:

एक पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत) तहसील स्तर पर एक स्थानीय सरकारी निकाय है। यह निकाय तहसील के उन गांवों के लिए काम करता है जिन्हें एक साथ "विकास खंड" कहा जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है।

पंचायत समिति की रचना:

ब्लॉक पंचायत में सदस्यता ज्यादातर पूर्व-आधिकारिक है; यह पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंचों (ग्राम पंचायत अध्यक्षों), क्षेत्र के सांसदों और विधायकों, उप-जिला अधिकारी (एसडीओ), सह-ऑप्ट सदस्यों (एससी / प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि) से बनता है । एसटी और महिला), सहयोगी सदस्य (क्षेत्र का किसान, सहकारी समितियों का प्रतिनिधि और विपणन सेवाओं में से एक), और कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं ।

कार्य

कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, जल निकासी और सड़कों की मरम्मत / मरम्मत
कुटीर और लघु उद्योग का विकास, और सहकारी समितियों का उद्घाटन
भारत में युवा संगठनों की स्थापना
जिला परिसद:

पंचायत राज में जिला स्तर पर अग्रिम प्रणाली का संचालन भी जिला परिषद के रूप में लोकप्रिय है। प्रशासन का प्रमुख जिला स्तर के लिए IAS कैडर का अधिकारी और पंचायत राज का मुख्य अधिकारी होता है।

जिला परिषद की रचना

सदस्यता 40 से 60 लोगों तक होती है और इसमें आमतौर पर निम्न शामिल होते हैं:

जिले के उपायुक्त
जिले के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष

जिले के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख
जिले में संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य
प्रत्येक सहकारी समिति का प्रतिनिधि
कुछ महिलाओं और अनुसूचित जाति के सदस्यों, यदि पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है
सार्वजनिक सेवा में असाधारण अनुभव और उपलब्धियों वाले सह-ऑप्टेड सदस्य।

जिला परिषद के कार्य

ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करें
किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति करें और उन्हें खेती की नई तकनीकों की जानकारी दें
ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और पुस्तकालय स्थापित करना और चलाना
गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल शुरू करना; महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करें
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए योजना तैयार करना; आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम शालाएँ चलाना; उनके लिए मुफ्त छात्रावास स्थापित करना।
लघु उद्योग शुरू करने और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें।
पुलों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं और उनके रखरखाव का निर्माण एवम रोजगार देना।

27 अगस्त 2009 को, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार (महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए सभी के बीच पहला राज्य) , छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु , त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड ने पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।
पंचायतों ने आर्थिक रूप से खुद को बनाए रखने के लिए संघीय और राज्य अनुदानों पर भरोसा किया है। पंचायत परिषद के लिए अनिवार्य चुनावों की अनुपस्थिति और सरपंच की असंगत बैठकों ने ग्रामीणों को सूचना के प्रसार को कम कर दिया है, जिससे अधिक राज्य विनियमन हो गया है।
कई पंचायतें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही हैं। पंचायत परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति ने भी महिला भागीदारी में काफी वृद्धि की है और अधिक घरेलू मुद्दों को शामिल करने के लिए विकास के फोकस को आकार दिया है।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
एक त्रि-स्तरीय ढाँचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
हर पाँच वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव
अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
राज्य चुनाव आयोग का गठन

73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:

1)संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना

(2)कर, ड्यूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार

(3)राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।

समस्या

पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न कारणों से ग्रामीण जनता मे नई आशा और विश्वास पैदा करने में असफल रही है फिर भी कुछ मायनों में यह व्यवस्था अवश्य सफल रही है। जब तक ग्रामीणों मे चेतना नहीं आती तब तक ये व्यवस्थाएं सफल नहीं हो सकती। पंचायती राज व्यवस्था मे कुछ नई समस्या हो गई हैं। जिसका समाधान करना आवश्यक हैः-

(1)ग्रामीणों मे अशिक्षा और निर्धनता की विकट समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यक्ति पंचायती राज की आवश्यकता और महत्व के बारे मे अज्ञानतावश और अपनी निर्धनता के कारण कुछ भी नहीं कर पाते ।

(2) पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी विशेष रूकावट रही है। पंचायत स्थानीय राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। यदि हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावो में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो पंचायतों राजनीति से बचाया जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरण करना है।

(3)संस्थाओं में आर्थिक स्त्रोत की कमी इन्हें शासकीय अनुदान पर ही जीवित रहना पड़ता है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्त्रोत प्रदान किये जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके।

(4)राजनीतिक जागरूकता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। जो पंचायती राज मे रूकावट बनते हैं।

(5)स्थानीय निकायों पर स्थानीय, सांसदों, मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का कब्जा हो रहा है।

(6) स्थानीय निकायों पर संगठित माफियो और अपराधियों का कब्जा हो रहा है।

(7)महिला आरक्षण अर्थहीन हो गया है, क्योंकि सरपंच या प्रधान पति नामक एक नवीन प्रजाति का उदय हुआ है।

(8)वस्तुत: ग्रामों का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से ही है, लेकिन जनपद और जिला पंचायत का अस्तित्व और उनका हस्तक्षेप आदि पंचायतों की स्वायत्तता को सीमित करता है ।

(9) स्थानीय निकायों के सदस्य स्वस्थ योजनाओं के बजाय अधिकतम निर्माण कार्यों में रूचि लेते हैं।

इस प्रकार स्पश्ट है कि दूषित राजनीति संस्कृति के कारण पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है।

(10)11वीं अनुसूची ने उन्हें 29 कार्य सौंपे हैं लेकिन इनके स्वरूप का निर्धारण राज्य सरकार करती है । राज्यों ने पंचायतों को स्वविवेक से काम करने पर अनेक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ।

(11)गांवों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने जातिवाद को उभार दिया है । निर्वाचित पंचायतें भी अपने काम में जातिवादी संकीर्णताओं से ग्रस्त दिखायी देती हैं ।
(12)पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली बेहद उलझाव पैदा करती है । जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के अंतरसंबधों को स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता ।

समाधान

लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गांवों से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो। भारत में गांव आर्थिक समृद्धि के प्रतिक हैं। अतः देश तभी समृद्ध हो सकता है जब गांवों की प्रगति हो और गांवों का विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। निम्न सुझाव कारगर हो सकते हैं -

(1)ग्राम पंचायतों मे योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाये। निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जाय और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर सख्त कार्यवाही की जाये।
(2) पूरा प्रशासनिक ढांचा निहित स्वार्थ के कब्जे में है।
(3) ग्राम पंचायती व्यवस्था के नाम पर राजनीति को समाप्त किया जाय। यदि इसे समाप्त ना किया गया तो पंचायतीराज व्यवस्था की जड़े हिल जायेगी और सच्चे लोकतंत्र की आधार शिला ढह जायेगी ।
(4)शासन को गांवों में सामाजिक सेवाओं का स्तर ऊँचा करना, पंचायत प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और उन्हें वित्त आवश्यक अधिकार प्रदान करने चाहिये-
(5)प्रदेश में पंचायतों को अपने कार्यक्रम के अच्छे क्रियान्वयन तथा उद्देश्यों और लक्ष्यों की सफल पूर्ति हेतु प्रोत्साहन देने हेतु विशेष मापदण्ड निर्धारित कर पुरस्कार घोषित किये जाने चाहिए।
(6)पंचायतों की कार्यदक्षता का निर्धारण करने हेतु राज्य संभाग तथा ब्लाक स्तर पर समितियाँ बनाई जानी चाहिए।

निष्कर्स : किसी भी देश , प्रदेश या गांव में पंचायती राज व्यवस्था तभी करगर हो सकती है जब उसके क्रियाकलापों को दलगत राजनीति से दूर रखा जाय यह भी सच है कि पंचायतीराज लोकतंत्र की आधारशिला भी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं मे व्याप्त गुटबन्दी को समाप्त करना भी इनके हित में ही होगा ।पंचायतों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। पंचायतों के वित्तिय हालत में भी अनिवार्य रूप से सुधार करने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जी0 के0 अग्रवाल (1976) : भारतीय सामाजिक संस्थायें: एस बीपीडी पब्लिशिंग आगरा ।
2. एम0एल0 गुप्ता तथा डी0 डी0 शर्मा (1989): सामाजिक संरचना एंव सामाजिक परिवर्तन
3. डाॅ.ओमप्रकाश जोशी (1974) : ग्रामीण एंव नगरीय समाजशास्त्र
4. रविन्द्र नाथ मुखर्जी(1989) : भारतीय समाज एंव संस्कृति: दिल्ली ।
5. प्रो.सत्यव्रत विद्यामातंण्ड : भारत की जनजाति तथा संस्थाये

IJARIIE